

# न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक

प्रकरण संख्या

108/2025

श्री प्रहलाद चन्द पुत्र रामसुख रैगर निवासी 9 सुन्दर वाटिका, टोंक रोड सांगानेर  
जयपुर पिन 302029

--अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 04.12.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑन लाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 13.10.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-


निम्नलिखित दिनांक को प्रेषित प्रार्थना पत्रों का जवाब सहित प्रमाणित प्रतिलिपिया देने की कृपा करे-

क्र. सं.	दिनांक	Address to The	Speed post	
			Despatch date	Delivered date
1	15.04.2025	लोक सूचना अधिकारी कलेक्ट्रेट टोंक	15.04.2025	16.04.2025
2	03.05.2025	लोक सूचना अधिकारी कलेक्ट्रेट टोंक	03.05.2025	05.05.2025
3	16.05.2025	प्रथम अपील अधिकारी, जिलाधीश टोंक	16.05.2025	19.05.2025
4	03.06.2025	प्रथम अपील अधिकारी, जिलाधीश टोंक	03.06.2025	04.06.2025
5	03.06.2025	लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक	03.06.2025	04.06.2025

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा०पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 2212 दिनांक 19.11.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्त उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 1140 दिनांक 30.11.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके पत्र क्रमांक 1069 दिनांक 17.11.2025 से भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

754



  
जिला कलेक्टर  
टोंक

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।



  
(कल्पना अग्रवाल)  
प्रथम अपील अधिकारी  
जिला कलेक्टर  
एवं जिला कलेक्टर टोंक  
टोंक